न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः—जीसीएमएस नम्बर 2025/1775

1. रामदेव पुत्र औंकार,
2. रामसहाय पुत्र औंकार,
3. शंकरलाल पुत्र औंकार,
4. हनुमान सहाय पुत्र औंकार, समस्त जाति माली, समस्त निवासी ग्राम खटवाड़ा पटवार हल्का महापुरा, भू.अ.नि.क्षेत्र भांकरोटा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी, द्वितीय सांगानेर जयपुर।
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सांगानेर जयपुर।
3. तहसीलदार सांगानेर, जयपुर।
4. थानाधिकारी, पुलिस थाना सेज, जयपुर।
5. गणेशनारायण पुत्र बल्देव, जाति माली निवासी ग्राम खटवाड़ा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः—

1. श्री सुरेश चन्द्र मीना, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री राजकुमार गठाला, रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से

दिनांकः **16.03.2026**

निर्णय

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, द्वितीय सांगानेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.01.2025 से असंतुष्ट होकर भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 की तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थीगण की आराजी खाता संख्या 169 नया, खाता संख्या 45 पुराना में खसरा नम्बर 455/1 रकबा 0.2900 हैक्टयर व खसरा नम्बर 456/1 रकबा 0.3300 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.6200 हैक्टयर वाके राजस्व ग्राम खटवाड़ा तहसील सांगानेर जयपुर में स्थित है। जिसमें अपीलार्थीगण का प्रत्येक का 1/48 हक एवं हिस्सा निहित है तथा उसके अलावा खाता संख्या 335 में खसरा नम्बर 496 रकबा 0.3700 हैक्टयर, खसरा नम्बर 497 रकबा 0.0300 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.4000 हैक्टयर वाके ग्राम खटवाड़ा तहसील सांगानेर में स्थित है। जिसमें अपीलार्थीगण प्रत्येंक का अविभाजित हिस्सा 1/144 निहित है। अपीलार्थीगण की उक्त आराजी भूमि में से खसरा नम्बर 455/1 रकबा 0.2900 हैक्टयर व खसरा नम्बर 456/1 रकबा 0.3300 हैक्टयर के लगती हुई रिंग रोड़ स्थित है। साथ ही अपीलार्थीगण की आराजी भूमि के समीप ही खसरा नम्बर 394/1, 395, 396, 396/1, 430, 435, 433 की भूमि स्थित है। जिनकी भूमि में आने—जाने का रास्ता उक्त खसरा नम्बरान से लगती हुई रोड़ से होते हुये व खसरा नम्बर 379 व 433 के मध्य से गुजरते हुये रिंग रोड़ में मिल जाता है।

संभागीय आयुक्त जयपुर

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने कथन किया है कि उक्त खसरा नम्बर 394/1, 395, 396, 396/1, 430, 435, 433 के काश्तकारों द्वारा अवैधानिक तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 के यहाँ

P.T.O.

कानूनी कार्यवाही करक अपीलार्थीगण के स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 456/1 455/1 से होकर रिंग रोड़ तक पहुॅचने हेतु रास्ता खुलवाये जाने के आदेश दिनांक 28.01.2025 को प्राप्त कर लिये गये जबकि अपीलार्थीगण के स्वामित्व की उक्त आराजी खसरा नम्बर 456/1 व 455/1 से होकर राजस्व रिकार्ड/नक्शा ट्रेस में किसी प्रकार का कोई रास्ता कायम नही है तथा ना ही उक्त रास्ते बाबत आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को किसी प्रकार का कोई सम्मन नोटिस ही प्रेषित किया गया तथा ना ही कोई सुनवाई का अवसर ही प्रदान किया गया तथा अपीलार्थीगण की बिना सुनवाई किये आलौच्य निर्णय पारित कर दिया, जो आदेश विधि विधान एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बगैर मौके की जांच किऐ ही तथा मौके के एकदम विपरीत जाकर अपीलार्थीगण को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी कानूनी भूल कारित की है। उन्होने यह भी कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की भूमि की सीमा से लगता हुआ पूर्व से रास्ता कायम चला आ रहा है तथा अपीलार्थीगण द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 5 को अपनी भूमि में से रास्ते हेतु भूमि दी गई। इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 5 द्वारा अवैंधानिक तरीके से अपीलार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 456/1 की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर अपनी भूमि में शामिल कर लिया गया। उन्होने यह भी कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के द्वारा एकल रूप से उपयोग एवं उपभोग करने के बावजूद भी अपीलार्थीगण की खसरा नम्बर 456/1 की भूमि को खुर्द-बुर्द करने के आशय से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के यहॉ बाला-बाला कार्यवाही करते हुये एकपक्षीय रूप से अपीलार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 456/1 की भूमि में से रास्ता कायम करवाने के आदेश प्राप्त कर लिये गये तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा भी रेस्पोडेन्ट संख्या 5 द्वारा किये गये आवेदन में वर्णित तथ्यों पर पूर्ण विश्वास कर व मौके की जांच किये बिना ही रास्ता कायम किये जाने के अपीलाधीन आदेश पारित कर दिये गये है, जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.01.2025 को निरस्त फरमाया जावें तथा आदेश दिनांक 28.01.2025 की पालना में की गई कार्यवाहियों को भी निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ने कथन किया है कि ग्राम खटवाड़ा मालियों की ढाणी, खातियों की ढाणी, राजकीय उच्च संस्कृत विधालय, ग्राम पंचायत महापुरा तहसील सांगानेर जो रिंग रोड़ पर खसरा नम्बर 455/1, 456/1 पर स्थित है। इसमें स्कूल के लिऐ जमीन के खातेदार, रामनाथ, दुर्गालाल, गणेशनारायण, लल्लूराम, लादूराम व अन्य खातेदारों द्वारा दान की गई है। इस स्कूल के लिऐ व अन्य खातेदारों की सहमति से सभी के लिऐ आने-जाने के लिऐ पिछले 40 वर्षो से आम रास्ता छोड़ा गया था और 40 वर्षो से इसी रास्ते से आम जनता व दान करने वाले खातेदारों व अन्य खातेदार जैसे खातियों की ढाणी, जाटों की ढाणी का आवागमन भी इसी रास्ते से होता आया है। अचानक स्कूल के पास सहखतोदरों द्वारा दिनांक 30.06.2025 की रात को इस रास्ते को बंद कर दिया गया था। जिसकी शिकायत किये जाने पर रास्ता खोलो अभियान के तहत दिनांक 08.10.2025 को पुलिस जाप्ता में रास्ता खोला जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योगय होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र बाबत इजाजत अपील स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। अपर/उच्च न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें विलम्ब से प्रस्तुत अपीलें/प्रार्थना पत्रादि के प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन

किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए व प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण के तथ्य के मद्देनजर विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि आराजी खसरा नम्बर 456/1 व 455/1 कुल किता 2 कुल रकबा 0.62 हैक्टयर की खातदारी अनूप अग्रवाल पुत्र प्रेमनारायण वगैरह कुल सहखातेदारान 30 के नाम से दर्ज रिकार्ड है, जिसमें रास्ता दर्ज रिकार्ड नही है उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल प्रचलित रास्ते को आधार बनाते हुए प्रश्नगत भूमि के सहखातेदारान को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही रास्ता खुलवाने हेतु अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.01.2025 पारित किया गया है, जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक राखोअ/251 दिनांक 28.01.2025 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त प्रश्नगत रास्ते के सम्बन्ध में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम/राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधित प्रावधानों के अनुसरण में पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरान्त विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करें।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।